

8

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/एल-31/2022- /स्वा०. पटना, दिनांक / / 2026

डा० (श्रीमती) सरिता सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर के द्वारा दिनांक-01.06.2026 से 28.08.2026 तक कुल 89 (नवासी दिन) दिन उपभोगित/उपभोग अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-836 (25), दिनांक-27.05.2024 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक 01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. डा० (श्रीमती) सरिता सिंह का इससे पूर्व निम्न अवधि का शिशु देखभाल स्वीकृत किया गया है:-

(i) विभागीय पत्रांक-502 (2) दिनांक-21.04.2022 द्वारा दिनांक-11.04.2022 से 11.07.2022 तक कुल 92 (बानवे) दिनों का।

(ii) विभागीय पत्रांक-1789 (2) दिनांक-18.12.2024 द्वारा दिनांक-20.10.2023 से 20.04.2024 तक कुल 184 (एक सौ चौरासी) दिनों का।

(iii) विभागीय पत्रांक-337 (2) दिनांक 14.02.2026 द्वारा दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक कुल 365 (तीन सौ पैंसठ) दिनों का।

3. उक्त अवकाश को घटाने के पश्चात डा० सिंह के पक्ष में शून्य दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

सं० सं०-2/एल-31/2022- 2202(2) पटना, दिनांक 15/9/2026

लेखिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लेखिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लेखिपि: कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर/डा० (श्रीमती) सरिता सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लेखिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

W. K. K. 7/9/26
सरकार के उप सचिव